भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 258

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

'आशा' कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज

†258. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें वेतन संहिता, 2019 के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा से बाहर रखा जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में आशा कार्यकर्ताओं की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भुगतान किए गए प्रोत्साहन, लंबित भुगतान और रिपोर्ट किए गए विलंब का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में आशा कार्यकर्ताओं पर कोविड-19, टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य मिशनों के दौरान बढ़े हुए कार्यभार के कारण पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) नामांकन आंकड़ों और दावा निपटान सहित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा कवरेज का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का महाराष्ट्र में आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई राज्य-विशिष्ट कल्याण पैकेज या बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय, परिचालनात्मक, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कर्तव्यों सहित व्यापक श्रेणी के कार्यों में लगे व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा, किसी प्रतिष्ठान में वेतन पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त हों या विवक्षित हों, इस दायरे में आते हैं।

"श्रम" भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। संहिता के उपबंधों के अंतर्गत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में समुचित सरकार के रूप में अधिकार प्राप्त है।

आशा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। उन्हें नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए मासिक आधार पर निश्चित प्रोत्साहन प्राप्त होता है। नियमित और आवर्ती गतिविधियों के अलावा, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए कार्यनिष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिन्हें आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों के अलावा राज्य-विशिष्ट अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहे हैं। इन प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:
https://nhm.gov.in/New-Update-2025-26/ASHA-incentive/ASHA%20Incentives.pdf

आशा कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर और समग्र संसाधन आवंटन के भीतर उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आशा कार्यकर्ताओं की संख्या का जिलावार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाले कार्य के बोझ और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा, क्षेत्र आकलन, कार्यक्रम निगरानी तंत्र जैसे सामान्य समीक्षा मिशन और परिचर्चा आयोजित किए जाते हैं। ऐसे आकलनों के आधार पर, कार्यों को युक्तिसंगत बनाने, कार्यनिष्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन शुरू करने, परिचालन बोझ को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए क्षमता निर्माण और सहायता जैसे कदम समय-समय पर उठाए गए हैं।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं को पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज भी प्रदान किया जाता है।
